

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/स्त्री-20/सेवानिवृत्ति/2017/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं नर्स गेड-2 द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्रीमती वलसला के. एलएचवी	सीएमएचओ श्रीगंगानगर	17.04.1958	30.04.2018
2	श्रीमती विमला देवी शर्मा एलएचवी	सीएमएचओ भरतपुर	14.02.1958	28.02.2018
3	श्रीमती रमारानी पुरोहित, नर्स-2	अधी.महा.भू.रा.चिकि. उदयपुर	22.08.1958	31.08.2018
4	श्रीमति सुधा शर्मा एलएचवी	सीएमएचओ नागौर	05.04.1958	30.04.2018
5	सुश्री कलावती दरोगा एलएचवी	सीएमएचओ डूंगरपुर	05.08.1958	31.08.2018
6	लीजी कुट्टी सी.टी. एलएचवी	सीएमएचओ डूंगरपुर	14.06.1958	30.06.2018
7	रोसम्मा के.वी. एलएचवी	सीएमएचओ अलवर	15.10.1958	31.10.2018
8	सुश्री कोचू श्रेसिया एलएचवी	जे.के.लोन कोटा	10.04.1958	30.04.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-34-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/स्त्री-20/सेवानिवृत्ति/2017/149

दिनांक:- 6-2-2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन।
3. अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर/जे.के. लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर / भरतपुर/ नागौर/ डूंगरपुर/ अलवर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सूरतगढ(श्रीगंगानगर)/डीग (भरतपुर)/नागौर/बिछिवाडा एवं आसपुर (डूंगरपुर)/ राजगढ (अलवर)।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टहला (अलवर)।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर